

द्वितीय चरण के सुधार कार्यक्रम

ई.एस.आई.सी.-2.0



ई.एस.आई लामार्थियों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्म रिकॉर्ज की ऑनबाइन चपलबता



अभियान इंद्रधनुष : विशिष्ट संगों की चावधें को प्रतिदिन बदलना



आपात स्थिति और मार्गवर्शन के लिए मेबिकल हेल्पलाइन 1800-11-3839



वस्थित नागरिको एवं निःशक्त व्यक्तियो के लिए विशेष ओपीकी

क.रा.बी. योजना के बारे में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना सामाजिक बीमा के साथ—साथ स्वास्थ्य देखरेख की एकीकृत योजना है जो कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में समाविष्ट है तथा इसे 'कर्मचारियाँ' (क.रा.बी.अधिनियम, 1948 में यथा परिमानित) को बीमारी, मातृत्व, अपंगता और रोजगार चोट के कारण हुई मृत्यु जैसी घटनाओं के संबंध में सुरक्षा प्रयान करने तथा बीमाकृत व्यक्तियाँ एवं चनके परिवारों को चिकित्सा देखरेख प्रयान करने के कार्य को पूर्ण करने हेतु बनाया गया है। क.रा.बी. योजना चन फैक्ट्रियों तथा अन्य स्थापनाओं जैसे सड़क यातायात, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, समाचार—पत्र, दुकानें, तैक्षिक /चिकित्सा संस्थाओं पर लागू है, जहां 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। हालांकि कुछ राज्यों में स्थापनाओं की व्यक्ति हेतु सीमा जभी भी 20 है। उपर्युक्त श्रेणियों की फैक्ट्रियों और स्थापनाओं के कर्मचारी जो है 16000/— प्रति माह की मजदूरी आहरित कर रहे हैं, वे क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के हकदार है।

क.रा.वी. योजना नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान द्वारा वित्तपोषित है। नियोक्ता की अंशवान वर कर्मचारियों को वेय मजबूरी का 4.75% है। कर्मचारियों के अंशदान की दर चन्हें देय मजदूरी की 1.75% है।

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत हिवलाम

- बीमारी हितलाम
- अपंगता हितलाम
- आश्रितजन हितलाम
- मातृत्व हितलाम
- चिकित्सा हितलाम

लापार्थियों को दिए जा रहे अन्य हितलाम जैसे प्रसव व्यय, अंत्येष्टि व्यय, व्यावसायिक पुनर्वास, शारीरिक पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता तथा कौशल—उन्तयन प्रशिक्षण हैं।



About ESI Scheme

The Employees' State Insurance Scheme is an integrated measure of Social Insurance as well as health care embodied in the Employees' State Insurance Act, 1948 and it is designed to accomplish the task of protecting 'employees' (as defined in the ESI Act, 1948) against the impact of incidences of sickness, maternity, disablement and death due to employment injury and to provide medical care to insured persons and their families. The ESI Scheme applies to factories and other establishments viz. Road Transport, Hotels, Restaurants, Chemas, Newspaper, Shape, Educational/Medical Institutions wherein 10 or more persons are employed. However, in some States threshold limit for coverage of establishments is still 20. Employees of the aforesaid categories of factories and establishments, drawing wages up to \$ 15,000/- a month, are entitled to social security cover under the ESI Act.

The ESI Scheme is financed by contributions from employers and employees. The rate of contribution by employer is 4.75% of the wages payable to employees. The employees' contribution is at the rate of 1.75% of the wages payable to an employee.

Benefits under ESI Scheme

- Sickness Benefit
- Disablement Benefit
- Dependants' Benefit
- Maternity Benefit
- Medical Benefit



Other benefits being provided to the beneficiaries are:

- Confinement Expenses
- Funeral Expenses
- Vocational Rehabilitation
- Physical Rehabilitation
- Unemployment Allowance and Skill Upgradation Training

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्ति

ब्यौरे	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
व्याप्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	29	30	31	31
कार्यान्वित केंद्र	807	810	815	830
फैक्ट्री / स्थापना (लाख में)	5.80	6.66	6.69	7.23
कर्मचारी (करोड़ में)	1.63	1.65	1.74	1.79
बीमाकृत व्यक्ति (करोड़ में)	1.71	1.86	1.95	2.03
लाभार्थी (करोड़ में)	6.64	7.21	7.58	7.89

आय एवं व्यय (करोड़ रूपये में)

आय	(करोड़ में)		व्यय (करोड़ में)	
वर्ष	अंशदान आय	नकद हितलाम	चिकित्सा हितलाम	प्रशासनिक व्यय
2012-13	8111.45	763.78	4058.13	826.12
2013-14	9632.54	601.35	4859.90	1028.02
2014-15	10867.14	684.43	5615.80	1210.42

जैसा कि उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्ति में बढ़ोतरी हुई है परंतु अभी सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को व्याप्त किया जाना शेष है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य हितलाभों पर व्यय हमेशा एक चिंतन का विषय रहा है, यह आवश्यक है कि नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों से प्राप्त आय / अंशदान के अनुपात में निगम स्वास्थ्य हितलाभों पर अधिक व्यय करें। इस पृष्ठभूमि में क.रा.बी. निगम ने "क.रा.बी. निगम - 2.0" नामक द्वितीय चरण के सुधार कार्यक्रम स्थापित की है। कार्यक्रम में सूचीबद्ध कार्यवृत्तों को निर्धारित समय—सीमा के मीतर कार्यान्वित किया जाएगा। क.रा.बी. निगम — 2.0 का भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 जुलाई, 2015 को शुभारंम किया जाना है।

COVERAGE UNDER ESI SCHEME

Details	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
States/UTs covered	29	30	31	31
Implemented Centres	807	810	815	830
Factories/Establishments (in lakhs)	5.80	6.66	6.69	7.23
Employees (in crore)	1.63	1.65	1.74	1.79
Insured Persons (in crore)	1.71	1.86	1.95	2.03
Beneficiaries (in crore)	6.64	7.21	7.58	7.89

INCOME AND EXPENDITURE (₹ in cr)

Incon	ne (₹in cr)	1	cr)	
Year	Contribution Income	Cash Benefits	Medical Benefit	Administrative Expenses
2012-13	8111.45	763.78	4058.13	826.12
2013-14	9632.54	601.35	4859.90	1028.02
2014-15	10867.14	684.43	5615.80	1210.42

As it is clear from the above tables, the coverage under ESI Scheme has expanded but it is yet to cover all the States/UTs. Similarly, the expenditure on health benefits has always been a matter of concern, the Corporation needs to spend more on health benefits in proportion to the income/contributions from employers & employees. In this background, ESIC has set up a 2nd Generation Reform agenda named "ESIC - 2.0". The programmes listed in the Agenda will be implemented within the stipulated time frame. ESIC - 2.0 is being launched on 20th July, 2015 by Hon'ble Prime Minister of India.

सुधार कार्यक्रम

कार्यक्रम-1: क.रा.बी. की व्याप्ति में विस्तार

क.रा.बी. योजना 31 राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में निम्नसिखित राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र क.रा.बी. के व्याप्ति क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है:--

- अरूणाचल प्रवेश
- मिजोएम
- मणिपुर
- अंडमान और निकोबार द्वीप
- इन राज्यों / संघ राज्य—क्षेत्रों में 31 दिसंबर, 2015 तक क.रा.बी. बोखना आरंग करना।

क.रा.बी. योजना भौगोलिक क्षेत्रवार औद्योगिक/वाणिज्यिक समूहों को प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध ढंग से कार्योन्वित की जा रही है। वर्तमान में क.रा.बी. योजना, 830 केंद्रों (मुख्य औद्योगिक/वाणिज्यिक समूहों) में व्याप्त है, जिसमें 2.03 करोड़ बीमाकृत व्यक्ति शामिल है। हालांकि ये केंद्र देश के 393 जिलों से संबंधित है, परंतु इन जिलों के संपूर्ण क्षेत्र क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त नहीं है।

2. इन 393 जिलों को 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण रूप से व्याप्त करना।

वर्तमान में निर्माण कामगारों को क.श.बी. हितलाम नहीं दिए जा रहे हैं।

 सभी निर्माण कामगारों को 31 दिसंबर, 2016 तक क.स.बी. निवम के अंतर्वत व्याप्त करना।

क.स.बी. अभिनियम की घारा 73क, के अंतर्गत चपकंष है कि न्यून चपयोगी अस्पतालों में क.स.बी. निगम स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयोग गैर व्याप्त व्यक्तियों द्वारा प्रयोक्ता व्यय का मुगतान करके किया जा सकता है।

 चुनिदा सहरी / महानगरीय क्षेत्रों में रिक्शा चालकों / बॉटो रिक्शा चालकों जैसे असंगठित कामगारों के चयनित समूह के लिए 30 नवंबर, 2015 से स्वास्थ्य वोखना प्रारंग करना। डितलामों के तीव्र संवितरण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को सुगम बनाने के लिए विकेद्रीकृत निर्णय करने वाली प्रणाली को सुख किया जाना है। इस प्रकार सकर है—

 बिनांक 31 मार्च, 2016 से क.रा.बी. निगम के सहयोगी के रूप में सभी राज्यों में राज्य क.रा.बी. निगमों / सोसाइटियों की स्थापना की शुरुआत करना।



REFORM AGENDA

Agenda-1 : Extending the coverage of ESI Scheme

The ESI Scheme is being implemented in 31 States/Union Territories. As of now, the following States/UTs are not under the coverage area of ESI:-

- Arunachal Pradesh
- Mizorem
- Manipur
- Andaman & Nicober Island
- 1. To start ESI Scheme in these States/UTs by 31" December, 2015.

The ESI Scheme is being implemented geographical area wise, in a phased manner, keeping industrial/commercial clusters on priority. As of now ESI Scheme is covered in 830 centres (major industrial/commercial clusters) involving 2.03 crores IPs. Although these centres belong to 393 districts of the country, but whole areas of these districts are not covered under ESI Scheme.

2. To cover whole of these 383 districts by 31" March, 2015.

At present, construction workers are not being provided ESI benefits.

 To cover all the construction workers under ESIC by 31st December, 2015.

The ESI Act under Section 73A provides for using ESIC's health facilities in under-utilised hospitals, for non-covered persons on payment of user charges.

 To open health scheme for selected group, of unorganised workers like rickshow-pullers/auto-rickshow drivers in selected urban/metropolitan areas by 30° November, 2015. To facilitate quicker disbursal of benefits and improvement in health facilities, decentralised decision making systems are to be put in place. Hence, the target is—

 To start setting up State ESI Corporations / societies in all states as subsidiary of ESI Corporation by 31^{ex} March, 2016.



सुधार कार्यक्रम

कार्यक्रम-2 : स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

पंचदीप परियोजना के अंतर्गत क.रा.बी. निगम ने अपनी मुल गतिविधियों तथा अपने रिकॉर्डों का कम्प्यूटरीकरण किया है। बीनाकृत व्यक्तियों / क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कामगार तथा उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य रिकॉर्डों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखा जा रहा है। अब लक्ष्य है—

 लामार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉस्टॉ अर्थात दवा के पर्चों और प्रयोवशाला रिपोर्टों को दिनांक 20 जुलाई, 2016 से इंटरनेट के मान्यम से उपलब्ध कराना।

सभी औषधालयों को घरणबद्ध तरीके से भारत के जन-स्वास्थ्य मानकों के अंतर्गत विदित सुविधाओं से युक्त छड विस्तर वाले अस्पतालों में परिवर्तित किया जाना। सक्य क्रै-

 औषधालयों के चन्नवन के प्रथम चरण को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण करने हेतु।

सबक मारत अमियान के राष्ट्रीय अमियान के विस्तार के रूप में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर क.रा.बी.निगम ने दिनांक 22 जून, 2016 से दिशेष सबकता अमियान का द्वितीय चरण शुरू किया। इस संबंध में सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों में इस वर्ष दीपावली से पहले भवनों की खुट—पुट मरामत सहित सफेदी, रंग—रोगन पूरे करने का निर्देश दिया गया। अस्पतालों को उनके परिसर में बागवानी को सुधारने का निर्देश दिया गया। अस्पतालों को उनके परिसर में बागवानी को सुधारने का निर्देश दिया गया है। माहील को अच्छा बनाने के लिए आंतरिक क्षेत्रों में फूलदान भी लगाए जाने हैं। अस्पताल के सभी सेवा क्षेत्रों में समुचित रोशनी होगी। चिकित्सक के कक्षों में जांच बिस्तर पर पेपर रोल्स प्रयोग किए जाएंगे। शौचालयों की स्वच्छता को महत्व दिया गया है। संबंधित चिकित्सा क्ष्यीक्षकों से सुबह तथा शाम को अनुवीक्षण के लिए व्यवस्था करने हेतु कहा गया है। साफ—सफाई और स्वच्छता पर अधिक बस देने के लिए बाह्य रोगी विभाग तथा वार्डों में दैनिक आधार पर अस्पताल की चादरें बदलने के लिए सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों को अनुवेश जारी किए गए हैं। चादरों के बदले जाने की सुनिश्चितता के लिए अलग—अलग दिनों में अलग—अलग रंग की चादरें प्रयोग की जाएंगी।

अतः निर्धारित लक्ष्य है:--

8. क.रा.बी. निगम के सभी अस्पवालों में दिनांक 20 जुलाई, 2015 से प्रतिदिन इंद्रधनुषी (विम्योर) रंग प्रतिकृप का प्रवोग करते हुए निम्नलिखित रंगों की जावरें प्रयोग की जाएंगी:—

चादरों का रंग	
वैगनी	
नीला	
आसमानी	
हरा	
पीला	
नारंगी	
लाल	
	वैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी

ऑपरेशन इंद्रबनुव नामक यह योजना दिनांक 20 जुलाई, 2015 से शुरू होगी ।



REFORM AGENDA

Agenda-2 : Reforma in Health Services

Under the Project 'Pancholeep', the ESI Corporation has undertaken the computerisation of its core activities and its records. The health records of the Insured Persons (workers covered under the ESI Act) and their family members, are being preserved in electronic form. The target now is-

 To make available electronic health records i.e. prescriptions and laboratory reports to beneficiary through internet w.e.f. 20° July, 2015.

All dispensaries, in a phased manner, to be converted to stx bedded hospitals with facilities prescribed under India's Public Health Standards. The target is:-

 To complete the first phase of upgradation of dispensaries by 31"March, 2016.

As an extension of the National Drive of Sweech Bharet Abhivan, on the call of Hon'ble Prime Minister, the ESI Corporation has launched the 2" phase of Special Cleanliness Drive since 22" June, 2015, in this record, all the ESIC Hospitals have been directed to complete whitewashing, painting of the building along with minor regair before Despansal feetivel this year. The hospitals have been directed to improve the horticulture in their premises. Howerpots are to be installed in the internal great also for improving the ambience. All service great in the hospitals will be well lit. Paper rolls will be used on the examination bed in the doctors' chambers. Cleanliness of tollate has been given importance. The concerned Medical Superintendents have been asked for making arrangements for morning and evening monitoring. To give more emphasia on hygiene and cleanliness, the instructions have been issued. to all ESIC Hospitals for changing the hospital bedsheets on daily basis in the OPD and wards. To ensure the change of bedsheets, different colourbedsheets should be used on different days.



Hence the target set is that:

 In all hospitals of ESIC using VIBGYOR pattern day-wise, the following coloured bedsheets will be used with effect from 20° July, 2015.

Day	Colour of bedsheet	
Sunday	Violet	
Monday	Indigo	
Tuesday	Blue	
Wednesday	Green	
Thursday	Yellow	
Friday	Orange	
Saturday	Red	

This scheme called Operation indradnanush is to start from 20th July, 2015.

सुधार कार्यक्रम

कार्यक्रम-2: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

- दिनांक 20 जुलाई, 2015 से चिकित्सा सहायता (हेल्पलाइन) सुविधाएं शुरू करना जिससे बीमाकृत व्यक्ति किसी आपातकाल की स्थिति में तथा मार्गदर्शन हेतु चिकित्सकों से सीधे बात कर सकता है।
- 10. विरष्ठ नागरिकों तथा अशक्त रोगियों के लिए दिनांक 20 जुलाई, 2015 से दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक विशेष बाह्य रोगी विमाग शुरू करना।
- अस्पतालों के विभिन्न स्तर पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक उपयुक्त कैंसर संसूचन/उपचार सुविधाएं शुरू करना।

- 12. अस्पतालों के विभिन्न स्तर पर दिनांक 31 दिसंबर, 2015 तक उपयुक्त कार्डियोलॉजी उपचार सुविधाएं शुरू करना।
- 13. सभी अस्पताल परिसरों में दिनांक 31 दिसंबर, 2015 तक उन्नयन अथवा आउटसोर्सिंग द्वारा अपेक्षित उपस्करों के संस्थापन से सभी संमावित पैथोलॉजिकल सुविघाएं प्रदान करना।
- 14. सभी क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पतालों में सार्वजनिक—निजी— भागीदारी द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2015 तक डायलिसिस सुविधाएं प्रदान करना।

कार्यक्रम-3: रोगियों / परिचरों देखरेख में सुधार

- 15. पंजीकरण तथा भेषजी में सहायतार्थ प्रत्येक अस्पताल में उचित कतार प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना। इसके द्वारा 30 नवंबर, 2015 से मोबाइल फोन प्रयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण मी किया जा सकता है।
- 16. अस्पतालों के परा—चिकित्सा तथा अन्य स्टाफ को रोगियों / परिचरों के साथ व्यवहार करते समय शिष्टाचार रखने से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए दिनांक 31 अगस्त, 2015 तक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- 17. रोगियो / परिचरों के मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक अस्पताल में स्वागत कक्ष तथा "कृपया सहायता का अवसर दें" काउंटर की सुविधा प्रदान करना।
- 18. दिनांक 31 अगस्त, 2015 तक सभी भर्ती रोगियों के लिए फीड बैक प्रणाली शुरू करना।
- 19. रोगियों तथा लामार्थियों के मार्गदर्शन तथा उनके साथ उपयुक्त संपर्क के लिए सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों में अपेक्षित स्थानों

- पर दिनांक 31 दिसंबर, 2015 तक उपयुक्त तथा आकर्षक साइनेज स्थापित किया जाना।
- 20. पूर्ण प्रतिरक्षण तथा सुरक्षित प्रसव के लिए दिनांक 30 नवंबर, 2015 से प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति के परिवार में प्रत्येक गर्भवती माता तथा नवजात बच्चे का पता लगाना आरंभ करना।
- 21. प्रत्येक राज्य में दिनांक 31 मार्च, 2016 तक खळ्वतर सुविधाओं सहित कम-से-कम एक माता और बच्चा देखभाल अस्पताल सृजित करना।
- 22. दिनांक 30 नवंबर, 2015 तक अपने सभी अस्पतालों में योग की सुविधा प्रदान करना।
- 23. लामार्थियों के लिए टेलि—मेडिसिन की सुविधा का विकास विभिन्न चरणों में मार्च, 2016 तक।
- 24. विभिन्न चरणों में आयुष सुविधाओं का विस्तार डिस्पेन्सरी स्तर तक, पहला चरण दिसम्बर, 2015 तक।

REFORM AGENDA

Agenda-2: Reforms in Health Services

- To start Medical helpline facilities through which Insured Person can directly talk to Doctors in case of any emergency and seek guidance w.e.f. 20th July, 2015.
- To start Special OPD in the afternoon from 3.00 P.M. to 5.00 P.M. for Senior Citizens and Differently-abled Patients w.e.f. 20th July, 2015.
- 11. To start appropriate cancer detection/treatment facilities at different level of hospitals by 31st December, 2015.

- 12. To start appropriate cardiology treatment facilities at different level of hospitals by 31st December, 2015.
- To provide all possible pathological facilities in all hospitals premises by installation of required equipment either by upgrading or outsourcing by 31st December, 2015.
- To provide dialysis facilities in all ESIC Model Hospitals on PPP Model by 31st December, 2015.

Agenda-3: Improving patients/attendant care

- 15. To put in place appropriate Queue Management System in every hospital for helping in registration and pharmacy. Through this online registration can also be done using mobile phones by 30th November, 2015.
- 16. To provide behavioural training to para-medical and other staff of the hospitals guiding them to provide due courtesy in dealing with the patients/attendants by 31st August, 2015.
- 17. To provide facility for Reception and 'May I Help You' in each hospital to guide the patients/attendants by 30th November, 2015.
- 18. To provide for a feedback system, for all indoor patients by 31" August, 2015.
- 19. To put in place proper and attractive signages at the required places in all ESIC Hospitals for guidance and proper

- communications to the patients and beneficiaries by 31st December, 2015.
- 20. To start tracking each and every pregnant mother and newly born child in the families of IPs so that complete immunisation as well as safe delivery is achieved w.e.f. 30th November 2015.
- 21. To create at least one Mother and Child Care Hospital with higher facilities in every state by 31st March, 2016.
- 22. To provide for facility of yoga in all our hospitals by 30th November, 2015.
- To create tele-medicine facilities for the beneficiaries in phases by March, 2016.
- 24. AYUSH facilities to be extended up to the dispensary level in phases, the first phase by December, 2015.



संक्रम एवं प्रकारत जन संपर्क शाखा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम Employees' State insurance Corporation पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली—110002 www.esic.nlc.in, www.esic.in